न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :—श्री मुकेश बारैठ आर.ए.एस.

अनवान : —
मि0न0 —198/2019
अनवान : —

1. योगेश शर्मा पुत्र रामचंद्र पौत्र आदराम जाति ब्राहम्ण निवासी मलखेडा तहसील भादरा।

— वादी

ब ना म

1 रामचंद्र पुत्र आदराम जाति ब्राहम्ण निवासी मलखेडा तहसील भादरा।
2. पुरूषोतम पुत्र रामचंद्र पौत्र आदराम जाति ब्राहम्ण निवासी मलखेडा तहसील भादरा।
3. मनोज पुत्र रामचद्र पौत्र आदराम जाति ब्राहम्ण निवासी मलखेडा तहसील भादरा।
4. सुलक्षणा पुत्री रामचंद्र पौत्री आदराम जाति ब्राहम्ण निवासी मलखेडा तहसील भादरा।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भादरा

:— प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :—श्री संदीप गोदारा गोदारा वकील **वादी**
श्री प्रभुराम गोदारा वकील **प्रतिवादीगण**

निर्णय दिनांकः 24/02/2020

वादीगण के दावा के सक्षेंप में तथ्य इस प्रकार है कि रोही मोजा चक 15 एएमएस खाता सं0 94/88 के मु0 न0 59 के किला न0 1/1, 2, 3, 8 ता 12, 20, 21 कुल 2.315है0 (नहरी 2.263है0 गै0 मु0 रास्ता 0.052है0) खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 रामचंद्र के नाम राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज है। प्रमाणित प्रति जमाबंदी हाल संलग्न वाद है।यही बिनाय दावा है।

वादी एवं प्रतिवादीगण हिन्दु है तथा हिन्दु उतराधिकर अधिनियम एवं हिन्दु मिताक्षरा पद्धति से शासित होते है। वादभूमि पहले वादी के दादा आदराम की खातेदारी हुआ करती थी। आदराम के देहान्त होने पर वादभूमि जो प्रतिवादी रामच्रंद को विरासतन प्राप्त हुई। अतः उपरोक्त कृषि भूमि में वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 4 का जन्म से हक व हिस्सा है। परन्तु प्रतिवादी रामचंद्र कर्ता खानदान होने के चलते विरासतन इन्तकाल तन्हा अपने नाम से दर्ज करवा लिया। इस प्रकार वादभूमि वादी एवं प्रतिवादीगण की दादालाई पैत्रक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। वादभूमि तन्हा प्रतिवादी रामचंद्र के नाम दर्ज होने से वादी के अधिकारों पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ता है।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। तामील उपरान्त प्रतिवादी सं. 1, 3, 4, 5 ने जवाब दावा पेश किया तथा प्रतिवादी सं0 2 को वकील वादी ने तर्क अंकित कियां साक्ष्यवादी में वादी योगेश शर्मा पुत्र रामचंद्र जाति ब्राहम्ण निवासी मलखेडा तहसील भादरा के साक्षय करवाये गये। साक्ष्य की ताहिद में वादी ने जमाबंदी रोही मौजा चक 15 एएमएस संवत 2072–75 खाता सं0 94/88 प्रदर्श 1, वारिस प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत मलखेडा प्रदर्श–2, जमाबंदी खतोनी 12 एएमएस खाता सं0 4 संवत 2031 प्रदर्श 3, प्रदर्शित करवाये गये।

बहस वकील उभय पक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील उभय पक्षकारान ने अपने वाद के तथ्यों को दोहराया एवं मुताबिक अनुतोष वाद वादी डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में वादी ने रोही मोजा चक 15 एएमएस खाता सं0 94/88 के मु0 न0 59 के किला न0 1/1, 2, 3, 8 ता 12, 20, 21 कुल 2.315है0 नहरी 2.263है0 गै0 मु0 रास्ता 0.052है0 खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 रामचंद्र के नाम राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज है। प्रमाणित प्रति जमाबंदी हाल संलग्न वाद है। वादी ने प्रतिवादी रामचंद्र के नाम से खातेदारी दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा हेतु वाद प्रस्तुत किया एवं प्रतिवादीगण ने वादी के वाद को स्वीकार करते हुये अपना जवाबदावा पेश कर अपना सम्पूर्ण हिस्सा वादी के पक्ष में तर्क कर दिया है।

अतः वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री कर घोषणा की जाती है कि रोही मोजा चक 15 एएमएस खाता सं0 94/88 के मु0 न0 59 के किला न0 1/1, 2, 3, 8 ता 12, 20, 21 कुल 2.315है0 नहरी 2.263है0 गै0 मु0 रास्ता 0.052है0 खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 रामचंद्र के नाम राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज कृषि भूमि में से वादी योगेश शर्मा व प्रतिवादी 1 रामचद्र, प्रतिवादी सं0 2 पुरूषोतम, प्रतिवादी सं0 3 मनोज कुमार व प्रतिवादी सं0 4 सुलक्षणा बहिस्सा बराबर 1/5–1/5 के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। अतः वादभूमि रहनमुक्त होने उक्त वादभूमि में वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 4 प्रत्येक 1/5 हिस्सा बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कियां जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। इसी अनुसार पर्चा डिक्री तैयार कर संलग्न की जावे।

निर्णय आज दिनांक 24/02/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(मुकेश बारैठ)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
R.A.S
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
भादरा जिला हनुमानगढ

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :—श्री मुकेश बारैठ आर.ए.एस.

मि0न0 —198/2019

1. योगेश शर्मा पुत्र रामचंद्र पौत्र आदराम जाति ब्राहम्ण निवासी मलखेडा त0 भादरा।

— वादी

ब ना म

1 रामचंद्र पुत्र आदराम जाति ब्राहम्ण निवासी मलखेडा तह0 भादरा।
2. पुरूषोतम पुत्र रामचंद्र पौत्र आदराम जाति ब्राहम्ण निवासी मलखेडा त0 भादरा।
3. मनोज पुत्र रामचद्र पौत्र आदराम जाति ब्राहम्ण निवासी मलखेडा त0भादरा।
4. सुलक्षणा पुत्री रामचंद्र पौत्री आदराम जाति ब्राहम्ण निवासी मलखेडा त0 भादरा।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भादरा

:— प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

आज यह वाद मुझ श्री मुकेश बारैठ उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा के समक्ष वकील वादी श्री संदीप गोदारा एवं वकील प्रतिवादीगण प्रभुराम गोदारा की उपस्थिति मे निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री कर घोषणा की जाती है कि रोही मोजा चक 15 एएमएस खाता सं0 94/88 के मु0 न0 59 के किला न0 1/1, 2, 3, 8 ता 12, 20, 21 कुल 2.315है0 नहरी 2.263है0 गै0 मु0 रास्ता 0.052है0 खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 रामचंद्र के नाम राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज कृषि भूमि में से वादी योगेश शर्मा व प्रतिवादी 1 रामचद्र, प्रतिवादी सं0 2 पुरूषोतम, प्रतिवादी सं0 3 मनोज कुमार व प्रतिवादी सं0 4 सुलक्षणा बहिस्सा बराबर 1/5–1/5 के खातेदार काश्तकार किया जाता है। अतः वादभूमि रहनमुक्त होने उक्त वादभूमि में वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 4 प्रत्येक 1/5 हिस्सा बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 25/02/2020 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(मुकेश बारैठ)
उपखण्डाधिकारी (R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Bareth
Date: 2020.03.16 13:29:22 IST
Reason: SelfAttested
Location: